न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) , कानपुर देहात।

उपस्थितः- **हिमांशु कुमार सिंह . . . . . उच्चतर न्यायिक सेवा (H. J. S.)**

J. O. CODE NO. - UP 1817

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1186/ 2026

नौशाद उम्र 25 वर्ष पुत्र शेर मोहम्मद निवासी ग्राम गौरन बिलई, थाना रनियां, जिला कानपुर देहात

. . . . . आवेदक/ अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य **. . . . . विपक्ष/ अभियोजन पक्ष**

मु०अ०सं०- 41/ 2023

धारा- 354/ 34, 323, 504, 506, 376 भा०दं०सं०

थाना- रनियां, कानपुर देहात।

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

आवेदक/ अभियुक्त **नौशाद पुत्र शेर मोहम्मद** की ओर से नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 1186/ 2026, अ०सं०- 41/ 2023, धारा- 354/ 34, 323, 504, 506, 376 भा०दं०सं०, थाना रनियां, जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त नियमित जमानत प्रार्थना पत्र के आधार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादिनी ने अभियुक्त व उसके परिवार से रंजिश रखने के कारण फर्जी तथ्यों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। अभियुक्त के पिता ने विवश होकर मा० न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 156(3) दं०प्र०सं० का प्रस्तुत किया जिस पर थाने से रिपोर्ट मांगी गयी जिसकी जानकारी होने पर वादिनी ने विवेचक से मिलकर अपनी पुत्री का धारा- 164 दं०प्र०सं० का बयान दर्ज करवाया जिसमें बलात्कार का फर्जी कथन दर्ज कराया। बयान धारा- 161 दं०प्र०सं० में कहीं भी बलात्कार का आरोप नहीं लगाया गया है। कथित घटना दिनांक 12. 03. 2023 की सुबह आठ बजे की बतायी जा रही है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02. 04. 2023 को लगभग दो बजे दिन में दर्ज की जा रही है। वादिनी का बयान मा० न्यायालय के समक्ष लिया जा चुका है जिसमें चिकित्सीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य में भिन्नता है। पीड़िता ने अपने बयान धारा- 161 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि "दिनांक 12. 03. 2023 को सुबह नौ बजे अभियुक्त नौशाद ने

Digitally signed by HIMANSHU KUMAR SINGH
Date: 2026.05.27 16:27:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे साथ छेड़खानी करने लगा और लगभग एक वर्ष पहले भी इसने हमारे साथ बदतमीजी की थी। दिनांक 12. 03. 2023 को करीब समय नौ बजे के लगभग नौशाद मेरी मम्मी से गाली- गलौज व मारपीट करने लगा उसके बाद मेरे घर के पास नौशाद के घर वाले भी आ गये और मेरे व मेरी मम्मी के साथ मारपीट व गाली- गलौज करने लगा और मेरी मम्मी को काफी चोटें आयी हैं।'' पीड़िता ने धारा- 164 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि "दिनांक 12. 03. 2023 को समय सुबह साढ़े आठ बजे जब मैं लैट्रीन करके वापस लौट रही थी तो रास्ते में झाड़ियों में से निकल कर नौशाद मुझे घसीट कर झाड़ियों में ले जाने लगा तथा ले गया तथा मेरे साथ गलत काम किया।'' उपरोक्त बयानों में महत्वपूर्ण भिन्नता है, क्योंकि घटना के संबंध में 08:30 बजे तथा 09:00 बजे का कथन है। इसी प्रकार धारा- 161 दं०प्र०सं० में छेड़खानी तथा धारा- 164 दं०प्र०सं० में गलत काम करने का कथन है। अभियुक्त ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें अभियुक्त को आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने तक के लिये अग्रिम जमानत प्रदान की गयी थी। आरोप पत्र आ जाने पर अभियुक्त माननीय न्यायालय उपस्थित आता रहा और आरोप निर्मित किये गये, परन्तु अभियुक्त इस भ्रम के अधीन रहा कि वह जमानत पर है और जमानत को अग्रसारित अथवा नियमित किये जाने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं दिया। दिनांक 20. 05. 2026 को लोक अभियोजक के द्वारा उपरोक्त भूल को मा० न्यायालय के समक्ष रखे जाने पर अभियुक्त की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रदत्त अग्रिम जमानत को अग्रसारित किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसे निरस्त करके अभियुक्त को कारागार भेजा गया। अभियुक्त का मा० न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इससे अतिरिक्त अभियुक्त ने न तो निचली अदालत में और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत प्रार्थना पत्र दिया है न ही विचाराधीन है।

उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा के पति दिनांक 12. 03. 2023 को समय लगभग 08:00 बजे सुबह अपने घर से उमरन स्थित लहरिया फैक्ट्री में ड्यूटी करने के लिये गये हुये थे, घर पर प्रार्थिनी रूबीना खातून की पुत्री/ पीड़िता जो कि घर पर अकेली थी। इसके बाद पुत्री/ पीड़िता शौच क्रिया करने के लिये घर से गाँव के बाहर खेतों की तरफ गई हुई थी, वहाँ से वह घर पर वापस आ रही थी तभी गाँव के बाहर खेतों पर गाँव के ही नौशाद पुत्र शेर मोहम्मद प्रार्थिनी की पुत्री को जबरन हाथ पकड़ कर रोक लिया और अश्लील हरकतें करते हुये छींटा- कसी आदि करने लगा पुत्री के द्वारा विरोध करने पर लात- घूसों से बुरी तरह मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी देने लगा। पुत्री उक्त दबंग

व्यक्ति के चंगुल से किसी तरह से अपने को बचाते हुये जहाँ पर प्रर्थिनी (माँ) कण्डा पाथ रही थी वहाँ पहुँचकर पुत्री ने घटना की जानकारी अपनी माँ को बताई। तभी कुछ देर बाद पीछे से आ रहे दबंग व्यक्ति नौशाद से मैंने कहा कि तुमने मेरी पुत्री के साथ में गलत हरकतें क्यों की हैं। तो इतना सुनते ही उक्त दबंग व्यक्ति गाली- गलौज करने लगा। मना करने पर प्रार्थिनी को भी लात- घूसों से बुरी तरह से मारने- पीटने लगा और आवाज लगाकर अपने घर से समशाद पुत्र शेर मोहम्मद व शेर मोहम्मद पुत्र रसूल व शेर मोहम्मद की पत्नी शहाजहाँ बेगम व सपना पुत्री शेर मोहम्मद जोकि अपने- अपने हाथों में लाठी- डण्डा आदि लेकर मौके पर पहुँचकर बुरी तरह से माँ एवं पुत्री के साथ मारपीट करने लगे, बचाने पहुँचे दामाद मो० अरमान को भी उपरोक्त सभी लोगों ने मारा- पीटा है, पडोसियों आदि के आने पर उपरोक्त सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये उपरोक्त लोगों के द्वारा मारपीट करने के कारण प्रार्थिनी के सिर व पेट आदि एवं पुत्री के पेट व शरीर में गंभीर चोटें आयी हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उक्त जमानत का प्रबल विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कथित उपरोक्त अपराध कारित गया है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने पर अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

इस न्यायालय ने उक्त आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र पत्रावली, थाना आख्या, केस डायरी आदि प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त नौशाद पर धारा- 354/ 34, 323, 504, 506, 376 भा०दं०सं० का आरोप लगाया गया है।

अभियुक्त की तरफ से मौखिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे उपरोक्त मुकदमा में झूठा, साजिशन व रंजिशन फंसाकर अभियुक्त बना दिया है। अभियुक्त जमानत मिलने के पश्चात् जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा न ही साक्षीगण को प्रभावित करेगा।

प्रश्नगत मामले में अभियुक्त नौशाद का पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले में धारा- 173(2) बी०एन०एस०एस० की रिपोर्ट तक अग्रिम जमानत प्रदान की गयी थी बादहू उसके द्वारा उक्त अग्रिम जमानत की अवधि खत्म होने के फलस्वरूप एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र सं०- 2221/ 2026 अन्तर्गत धारा- 528 बी०एन०एस०एस० के माध्यम से अभियुक्त के विरूद्ध प्रपीड़ात्मक कार्यवाही के संबंध में लगायी गयी रोक भी आदेश दिनांकित 24. 02. 2026

के माध्यम से हटायी गयी फलस्वरूप अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार प्रेषित किया गया जिसके उपरान्त अभियुक्त का उक्त अग्रिम जमानत को नियमित कराने का प्रार्थना पत्र भी पूर्व में दिनांक 20. 05. 2026 को इसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, तब इस स्तर पर मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी प्रकार के गुण- दोष पर जाये बगैर अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति एवं अभियुक्त के पत्रावली पर आचरण को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/ अभियुक्त **नौशाद पुत्र शेर मोहम्मद** की ओर से नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 1186/ 2026, अ०सं०- 41/ 2023, धारा- 354/ 34, 323, 504, 506, 376 भा०दं०सं०, थाना रनियां, जिला कानपुर देहात तद्नुसार खारिज किया जाता है।

दिनांकः 27. 05. 2026

(हिमांशु कुमार सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय

(महिलाओं के विरूद्ध अपराध) , कानपुर देहात।

J. O. CODE NO. - UP 1817